प्रेस विज्ञप्ति
07.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने 07/02/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पंचकूला के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सुमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05/03/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने एसीबी, सीबीआई, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करनाल से मेसर्स सुमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 21.73 करोड़ रुपये के ऋण के पुनर्भुगतान में जानबूझकर चूक करके बैंक को धोखा देने की शिकायत के आधार पर प्राप्त हुई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स सुमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशकों सुशील कुमार, सचिन सिंगला और अंकित सिंगला के माध्यम से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नवदीप मित्तल की मदद से वित्तीय विवरणों में हेरफेर करके गलत तरीके से 21.73 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा का लाभ उठाया और पुनर्भुगतान में चूक करके बैंक को धोखा दिया और धन की हेराफेरी की। निदेशकों ने दिल्ली के एक बिचौलिए सुरेश जैन की मदद से ऋण राशि को कुछ फर्जी कंपनियों/फर्मों में लगाने में कामयाबी हासिल की, जो अपराध के आगमों (पीओसी) के निर्माण, छिपाने, परत दर परत लेन-देन के लिए जाल का इस्तेमाल कर फर्जी बिलिंग में लिप्त थे। मेसर्स सुमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को सहयोगी कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के साथ मिलीभगत करके कई फर्जी फर्मों/कंपनियों के साथ मिलीभगत करके सार्वजनिक धन की हेराफेरी करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि मेसर्स सुमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक के पास प्राथमिक सुरक्षा के रूप में रखे गए स्टॉक को अवैध रूप से हटाकर 53.58 करोड़ रुपये की राशि हड़प ली। इसके अलावा 13.63 करोड़ रुपये की राशि के पीओसी को भी फर्जी संस्थाओं के माध्यम से सहयोगी कंपनियों में भेजा गया और अंततः हड़प लिया गया। मामले में व्यापक तलाशी के परिणामस्वरूप अपराध–संकेती दस्तावेज जब्त किए गए, जिससे धन शोधन और पीओसी की हेराफेरी के तौर-तरीकों का पता चला।

आगे की जांच जारी है।